

## प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

### औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: **UPFS/2026/184061/LCK/LUCKNOW/8577/CFO**

दिनांक: **08-01-2026**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **Y2R HEIGHTS PRIVATE LIMITED** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO - CP-02,SECTOR J JANKIPURAM EXTENSION SITAPUR ROAD,LUCKNOW** तहसील - **BAKSHI KA TALAB** प्लाट एरिया **1139.57 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2936.95** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A COMMERCIAL	6	2	17.85 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **Y2R HEIGHTS PRIVATE LIMITED** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Mercantile** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **Y2R HEIGHTS PRIVATE LIMITED** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के क्रम में भवन का प्रोविजनल अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र इस शर्त के निर्गत किया जाता है कि भवन निर्माण प्रस्तुत किये गये संशोधित मानचित्र के अनुसार किया जायेगा तथा प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में मानक के अनुसार एक अतिरिक्त स्टेयरकेस, बेसमेन्ट में प्रस्तावित रैम्प का स्लोप न्यूनतम 1:8, प्रस्तावित स्टेयरकेस की चौड़ाई न्यूनतम 1.5 मीटर, फायर टॉवर व सम्पूर्ण भवन में स्मोक मैनेजमेन्ट के मानक के अनुसार प्रावधान सहित N.B.C.-2016 मानक के अनुसार वांछित समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रावधान करते हुये भवन के अधिभोग से पूर्व भवन अग्नि सुरक्षा पूर्णता(कम्प्लीशन) प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि/भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**Note :** प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के क्रम में भवन का प्रोविजनल अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र इस शर्त के निर्गत किया जाता है कि भवन निर्माण प्रस्तुत किये गये संशोधित मानचित्र के अनुसार किया जायेगा तथा प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में मानक के अनुसार एक अतिरिक्त स्टेयरकेस, बेसमेन्ट में प्रस्तावित रैम्प का स्लोप न्यूनतम 1:8, प्रस्तावित स्टेयरकेस की चौड़ाई न्यूनतम 1.5 मीटर, फायर टॉवर व सम्पूर्ण भवन में स्मोक मैनेजमेन्ट के मानक के अनुसार प्रावधान सहित N.B.C.-2016 मानक के अनुसार वांछित समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रावधान करते हुये भवन के अधिभोग से पूर्व भवन अग्नि सुरक्षा पूर्णता(कम्प्लीशन) प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(ANKUSH MITTAL)

निर्गत किये जाने का दिनांक : **14-01-2026**  
स्थान : **LUCKNOW**

[C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4]

14-01-2026